जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-30.01.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची व देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 अलग अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को 20 लीटर अवैध कच्ची व 10 लीटर अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.संजू पुत्र गिरधारी निवासी मौहल्ला सीतापुरी कस्बा व थाना झिझाना जनपद शामली।

2.कवरपाल पुत्र हदयराम निवासी ग्राम सिरसागढ मजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 लीटर कच्ची शराब (अभियुक्त संजू से बरामद)।

2.अवैध 10 लीटर देशी शराब (अभियुक्त कंवरपाल से बरामद)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सचिन कुमार प्रभारी चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.हे0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 मुकेश कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.है0का0 अशोक थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.है0का0 अमित थाना झिंझाना जनपद शामली।

7.का0 शान्तनु थाना झिंझाना जनपद शामली।

8.का0 सुमित थाना झिंझाना जनपद शामली।

9.का0 दीपक यादव चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.गुरुपाल पुत्र पीतम सिह निवासी ग्राम टोडा थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 18,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2019 में अभियुक्त दीपक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 18/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2001 में अभियुक्त सतीश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम धौलरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 188/2001 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2001 में अभियुक्त विपिन पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला चौक बाजार थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 231/2001 धारा 292/293 भादवि व 51/52ए/63/68 कॉपीराइट अधिनियम व धारा 6 चलचित्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.दीपक पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.सतीश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम धौलरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

3.विपिन पुत्र राधेश्याम निवासी मौहल्ला चौक बाजार थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI